

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,

मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर-303001

दूरभाष 0141-2374644

क्रमांक:-एफ-4/मु./याता/लेखा (109)/2026/453

दिनांक:- 6/3/2026

कार्यालय-आदेश

प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर "08 मार्च" महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। शासन उप सचिव, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प.17(17) परि/2009 जयपुर दिनांक 05.03.2026 से प्राप्त वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162600425 दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 08 मार्च 2026 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित समस्त साधारण एवं द्रुतगामी बसों (वातानुकूलित एवं वोल्वों के अतिरिक्त) में राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान कराने की सहमति के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 08 मार्च 2026 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की संचालित समस्त साधारण एवं द्रुतगामी बसों (वातानुकूलित एवं वोल्वों के अतिरिक्त) में राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है।

निगम वाहनों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 08 मार्च 2026 को राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली समस्त महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान कराने के उद्देश्य से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 08 मार्च 2026 (केवल एक दिवस) के लिये दी गई है। एक दिवस का तात्पर्य कलेण्डर दिवस (दिनांक 08 मार्च, 2026 को 00.00 बजे से रात्रि 23.59 बजे तक) होगा।
2. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा उक्त कलेण्डर दिवस की समायावधि में जारी टिकटों पर ही मान्य होगी।
3. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा केवल राजस्थान राज्य क्षेत्र की भौगोलिक सीमा (Geographical limit of Rajasthan State) तक मान्य होगी।
4. पत्रक वितरक/परिचालक E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine) से ही टिकिट जारी करेंगे।
5. किन्ही कारणों से E.T.I.M. (Electronic Ticket Issuing Machine) क्रियाशील नहीं होने पर निःशुल्क/रियायती टिकिट बुक से टिकिट जारी करेंगे तथा टिकिट पर "बालिका/महिला यात्री" एवम् दिनांक अंकित करेंगे।
6. यह निःशुल्क यात्रा सुविधा वातानुकूलित, वोल्वों एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों में देय नहीं होगी।

(डॉ. ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक:-एफ-4/मु0/याता./लेखा(109)/2026/453 दिनांक:- 06/03/2026
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक,माननीय परिवहन एवं सडक सुरक्षा राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2. निजी सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रीमान आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार,जयपुर।
4. निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक (महिला अधिकारिता) निदेशालय महिला अधिकारिता जे-7 0
7. शासन उप सचिव,परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर को उनके पत्रांक प.17(17)परि/2009/जयपुर दिनांक 05.03.2026 के क्रम में।
8. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
9. महाप्रबन्धक/सयुक्त महा प्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक() रा.रा.प.नि. मुख्यालय जयपुर।
10. उप महा प्रबन्ध (आई.टी.)राज0 परि0 निगम मुख्यालय जयपुर, को उक्तानुसार ईटीआईएम में आवश्यक संशोधन करने एवं वेबसाईड पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु।
11. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी.)राज0 परि0 निगम मुख्यालय जयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (व्यय-2) विभाग राजस्थान सरकार की टिप्पणी अनुसार पुनर्भरण के दावे का परीक्षण आलोच्य वित्तीय वर्ष में प्रति माह महिला यात्रियों के औसत प्रतिशत एवं निगम की मासिक औसत आय को दृष्टिगत रखते हुये इस संबंध में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावे।
12. निगम सचिव/कार्यकारी प्रबन्धक() राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर।
13. कार्यकारी प्रबन्धक(जन सम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर को प्रेषित करनिर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बंध में आवश्यक प्रचार-प्रसार करावे।
14. समस्त मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान परिवहन निगमआगार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि निःशुल्क एवं रियायती टिकिटों के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं रिकार्ड का संधारण से सम्बन्धित कार्यवाही की जावे तथा समस्त निरीक्षकों/परिचालकों एवम् सभी सम्बन्धितों को इस सम्बन्ध में निर्देश प्रदान करते हुये उक्तानुसार निःशुल्क यात्रा सुविधा देना सुनिश्चित करेंगे। "महिला दिवस" के अवसर पर "दिनांक 08.मार्च, 2026" को प्रदत्त निःशुल्क यात्रा सुविधा से निगम पर पडने वाले वित्तीय भार की सूचना प्रपत्र 'क' (प्रति संलग्न) के अनुसार उप महाप्रबन्धक(सांख्यिकी) मुख्यालय, जयपुर को आवश्यक रूप से दिनांक 15.03.2026 तक भेजना सुनिश्चित करे।

(डॉ.ज्योति चौहान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)